



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(7)2022 / कार्मिक / प्रमुख / शीघ्र लिपिक /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1999 के अनुसरण में आयोजित शीघ्रलिपिक सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.2 (4) / प्र.सु / अनु-3 / 2022 दिनांक 14.03.2023 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर में नियुक्ति हेतु आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय (लिपिक वर्गीय) मन्त्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर अस्थाई (Provisional) आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। दो वर्ष की परीक्षा अवधि के दौरान अधोलिखित शर्तों पर वित्त (नियम प्रकोष्ठ) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15 (1) वित्त / नियम / 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के नियम-16 शिड्यूल IV के प्रावधानानुसार पै मैट्रिक्स लेवल एल-10 में 23700/- (तेईस हजार सात सौ मात्र) रुपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा :-

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी	चयनित श्रेणी	आवंटित कार्यालय
1	3290	176950	कल्पना राजोरिया	बाबू लाल राजोरिया	14.07.1997	महिला	एस.सी.	एस.सी.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर
2	2898	175023	लोकेश कुमार मीना	जगदीश नारायण मीना	07.07.1997	पुरुष	एस.टी.	एस.टी.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज. जयपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है :-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।
- अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
- उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11 / एसटी एससी ओबीसी एसबीसी / जा.प्रा.प. / सामान्यअवि / 2015 / 54159 दिनांक 09.09.2015 पत्र क्रमांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प्र011 (204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 88999-89032 जयपुर 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों / सत्यापन के अध्ययन पूर्णतया अस्थाई रूप से मानी जायेगी।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 व परिशिष्ट 4 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan Pandey
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.05.25 16:22:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3882089



7. परीवीक्षाकाल (Probationer-Trainee) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति तक सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका नियमितिकरण एवं वेतन निर्धारण शीघ्रलिपिक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-10 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
10. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेंगी।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. परीवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा। परीवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
16. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम)/2021 पार्ट दिनांक 25.02.2022 एवं 26.05.2022 के अनुसार परीवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जायेगी।
17. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ-7 (1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
18. वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5 (5) FD/INSURANCE/2020 दिनांक 09.04.2021 के अनुसार RGHS लागू होगी।
19. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हो उनके अधीन सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
20. उक्त नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/नियम/परिपत्रों के अध्ययधीन होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/नियम/परिपत्र लागू होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan
Pandey
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.05.25 16:22:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3882089



21. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन या अन्य कोई दस्तावेज शेष हैं, वह कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

संलग्न :-

1. अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।
2. दिनांक 12.05.2023 को दस्तावेज परीक्षण/पात्रता की जांच के दौरान अभ्यर्थियों से प्राप्त दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की प्रति।

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 3(7)2022/कार्मिक/प्रमुखसं/शीघ्र लिपिक/ 1686-95 दिनांक 29/05/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर को उनके क्रमांक प.2 (4)/प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 14.03.2023 एवं 27.04.2023 के क्रम में।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर।
5. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
6. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
7. प्रभारी कार्मिक-स्ट्रेन्थ अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. कल्पना राजोरिया पुत्री श्री बाबू लाल राजोरिया निवासी ए-17, बजरंग नर्सरी के सामाने चार दरवाजा बाहर मण्डी, खटिकान जयपुर पिन कोड-302002।
9. श्री लोकेश कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश नारायण मीना ग्राम पोस्ट रूपाहेरी खुर्द विथ बापू गांव, तहसील कोटखावदा, जयपुर पिन कोड-303908।
10. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref No. : 3882089

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan Pandey

Designation : Principal Chief

Conservator Of Forest

Date: 2023.05.25 16:22:42 IST

Reason: Approved

